भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 205

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025 / 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रवासी मजदूरों का कल्याण

***205. श्री दिलेश्वर कामैतः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार सहित सभी राज्यों में यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि श्रमिकों और कामगारों को उनके गृह जिले/राज्य में ही रोजगार मिले ताकि उनका पलायन कम हो सके;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि दुर्घटना की स्थिति में किसी कामगार के शव को उसके परिवार को बिना किसी परेशानी के उसके गृहनगर में शीघ्र वापस भेजा जाए; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि परिवारों को अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य को खोने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पेंशन मिल सके और उन्हें अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़े?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

“प्रवासी मजदूरों का कल्याण” के संबंध में श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 205* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): बेहतर कार्यदशाओं, सुरक्षा, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों के बेहतर कल्याण के लिए मौजूदा 29 श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाते हुए चार श्रम संहिता, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020, दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई हैं।

इन नई श्रम संहिताओं में नियुक्ति पत्र, सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा, निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, रात की पाली सहित सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए महिलाओं के अधिकारों का विस्तार आदि अनिवार्य हैं। ये संहिताएं असंगठित कामगारों सहित सभी क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं।

रोजगार सृजन और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए रोजगार सृजन को सहायता प्रदान करने, रोजगार क्षमता और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय संस्थापनों के पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस देने का प्रावधान करता था। ऐसे संस्थापन के साथ नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता का भुगतान, आवासीय निवास, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि प्रदान करने का प्रावधान था।

इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल कर दिया गया है। ओएसएच संहिता प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए गरिमापूर्ण कार्यदशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, यात्रा भत्ता, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करती है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, यह संहिता कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को मजबूती के साथ श्रम शासन के केंद्र में रखती हैं।

दुर्घटनाओं में मृत कामगारों के परिवारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता था। अब, दोनों अधिनियमों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर दिया गया है। ईएसआईसी, अंतिम संस्कार करने वाले आश्रितों/व्यक्ति को अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000/- रुपये के अंतिम संस्कार के खर्च का भुगतान करता है और यह प्रावधान बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से लागू हो जाता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार प्रवासी बागान कामगारों सहित बागान कामगारों की मृत्यु या घायल होने के मामले में मुआवजे की राशि इस प्रकार होगी:-

(क) जहां चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, मृतक कर्मचारी के मासिक वेतन को संबंधित कारक से गुणा करने पर पचास प्रतिशत के बराबर की राशि या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली राशि, जो भी अधिक हो;

(ख) जहां चोट के कारण स्थायी पूर्ण निःशक्तता होती है, वहां घायल कर्मचारी के मासिक वेतन को संबंधित कारक से गुणा करने पर साठ प्रतिशत के बराबर की राशि या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली राशि, जो भी अधिक हो।

परंतु केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मुआवजे की राशि में वृद्धि कर सकती है।

प्रवासी कामगारों के लिए लागू ओएसएच संहिता के प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) संस्थापन के कार्य के संबंध में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले किसी संस्थापन के प्रत्येक ठेकेदार या नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा -

(क) ऐसे कामगार के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य की उपयुक्त परिस्थितियां सुनिश्चित करना कि उसे अपने राज्य से भिन्न राज्य में कार्य करना अपेक्षित है;

(ख) ऐसे किसी कामगार को घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट लगने की स्थिति में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और कामगार के निकटतम रिश्तेदारों को सूचित करना;

(ग) ऐसे कामगार को वे सभी लाभ प्रदान करना जो उस संस्थापन के किसी कामगार को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लाभ और धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत एक कामगार के लिए उपलब्ध चिकित्सा जांच की सुविधा सहित उपलब्ध हैं।

(घ) नियोक्ता अपने संस्थापन में नियोजित प्रत्येक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार को; पात्रता, आवधिकता और यात्रा की श्रेणी के लिए न्यूनतम सेवा और समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष में अपने नियोजन के स्थान से अपने मूल स्थान तक आने-जाने के लिए किराए की एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा।

(ii) जहां किसी संस्थापन में किसी स्थान पर, कोई दुर्घटना होती है जो मृत्यु का कारण बनती है, या जिसके कारण कोई शारीरिक चोट होती है जिसके कारण घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है या जो ऐसी प्रकृति की है जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तब नियोक्ता ऐसे अधिकारियों को ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर नोटिस भेजेगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। जहां दिया गया नोटिस किसी बागान या भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित संस्थापन या किसी अन्य संस्थापन में मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटना से संबंधित है, तो वह प्राधिकारी जिसे नोटिस भेजा गया है, नोटिस प्राप्त होने के दो महीने के भीतर घटना की जांच करेगा या यदि ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उक्त अवधि के भीतर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से जांच करवाएगा।

(iii) यदि कोई नियोक्ता इस संहिता या उसके तहत बनाए गए विनियमों, नियमों, उप-नियमों या आदेशों के तहत किसी भी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है और इस तरह के गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप दुर्घटना या मृत्यु का कारण बनने वाली खतरनाक घटनाएं होती हैं, तो उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या कम से कम पांच लाख रुपये के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। यह संहिता किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन के लिए अपराधी को दोषी ठहराए जाने पर, न्यायालयों को, लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% मुआवजे के रूप में गंभीर शारीरिक चोट के मामले में पीड़ित व्यक्ति को या मृत्यु के मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने का निदेश देने का अधिकार प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) एक पेंशन योजना है जिसमें 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित कामगार स्वैच्छिक आधार पर नामांकन कर सकते हैं। लाभार्थी का मासिक अंशदान उसकी उम्र के अनुसार 55 रुपये प्रति माह से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक होता है। समान मासिक अंशदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। जब कामगार की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस योजना को जारी रख सकते हैं और मासिक पेंशन 3000 रुपये प्रति माह होगी। हालांकि, यदि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन घटकर 1500 रुपये प्रति माह हो जाएगी।

सरकार प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों का भी कार्यान्वयन कर रही है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं (i) जीवन और निःशक्तता कवर के लिए क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (ii) द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), (iii) आवासीय आवश्यकताओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना।

*****